

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रतिष्ठकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 301] नई दिल्ली, मंगलवार, 17 अक्टूबर 1978/आश्विन 25 1900  
No. 301] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 17, 1978/ASVINA 25, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation.

विदेश मंत्रालय

अधिस्चना

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 1978

सा. का. नि. 499 (अ).—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार इसके द्वारा पासपोर्ट नियम, 1967 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, यथा :—

- (1) ये नियम पासपोर्ट (तृतीय संशोधन) नियम, 1978 कहलायेंगे।
- (2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- (3) पासपोर्ट नियम, 1967 की अनुसूची में,—

- (1) कालम 3 में क्रम संख्या 6 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि की जाय, यथा :—

“उत्तर प्रदेश राज्य”;

(2) क्रम संख्या 14 के बाध निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, यथा :—

"15 (क) पासपोर्ट अधिकारी, भोपाल (पासपोर्ट कार्यालय, भोपाल)	मध्यप्रदेश राज्य
(ख) जन संपर्क अधिकारी, भोपाल (पासपोर्ट कार्यालय, भोपाल)	मध्यप्रदेश राज्य
(ग) अधीक्षक, भोपाल (पासपोर्ट कार्यालय, भोपाल)	मध्यप्रदेश राज्य

[सं-8/401/48/78]

ए. एम. खलीली, संयुक्त सचिव (सी पी वी)

**MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th October, 1978

**G.S.R. 499(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 24 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passports Rules, 1967, namely :—

(1) These rules may be called the Passports (Third Amendment) Rules, 1978.

(2) These rules shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

(3) In Schedule I of the Passports Rules, 1967,—

(i) against Serial No. 6 in column 3, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—  
"The State of Uttar Pradesh";

(ii) after Serial No. 14 the following shall be inserted, namely :—

"15 (a) Passport Officer, Bhopal Passport Office, Bhopal)	The State of Madhya Pradesh
(b) Public Relations Officer, Bhopal, (Passport Office, Bhopal)	-do-
(c) Superintendent, Bhopal (Passport Office, Bhopal)	-do-

[No. VI/401/48/78]

A. M. KHALEELI, Jt. Secy. (CPV)